भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018
INDIAN FOREST SERVICE (MAIN) EXAMINATION, 2018
स्क्राइब के लिए ई-प्रवेश पत्र /E-Admit Card For Scribe

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2018 का आयोजन दो सत्रों में किया जाएगा और प्रत्ये क सत्र तीन घंटे की अवधि का होगा। दृष्टि बाधित उम्मीषदवार (दृष्टि अक्षमता 40% या इससे अधिक) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीमदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूकनतम 40% अक्षमता) है, उन्हें बीस मिनट प्रतिघंटे (कुल 60 मिनट) का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे उम्मी दवारों को उत्त र लिखने के लिए प्रत्येरक सत्र में तीन घंटे साठ मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।

2. बेंचमार्क विकलांगता वाले ऐसे उम्मीवदवार, जिन्हे आयोग ने परीक्षा में उत्त र लिखने के लिए अपने स्क्रारइब लाने की अनुमति प्रदान की है, वे स्क्रा इब की सहायता तभी ले पाएंगे, जब उनके पास आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधिवत जारी मान्य स्क्रा इब प्रवेश पत्र प्रत्ये क सत्र में उपलब्ध हो।

3. बेंचमार्क विकलांगता वाले ऐसे उम्मी दवार, जिन्हें आयोग ने परीक्षा में उत्तबर लिखने के लिए अपने स्क्रारइब लाने की अनुमति प्रदान की है, उन्हेंस आयोग को सूचित किए बिना, बाद में अपना स्क्रासइब बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. स्क्राइब, क्यूसीए पुस्तिका में लिखे अनुदेश और प्रश्नआ पढ़कर उम्मीतदवार को सुनाएगा और उम्मीदवार के कहे अनुसार क्यूीसीए पुस्तिका में उत्तीर लिखेगा। |

5. स्क्राइब ऐसा कोई इशारा, आवाज या कोई अन्यर संवाद संकेत नहीं करेगा जिससे उम्मीकदवार को यह अनुमान लगे कि उसके द्वारा लिखाया जाने वाला उत्तार सही है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार की अर्हता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित उम्मीरदवार और स्क्रायइब, दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ।

6. स्क्राइब द्वारा उम्मी दवार को प्रश्नउ पढ़कर सुनाते हुए या उम्मी दवार द्वारा स्क्रा इब को क्यूरसीए पुस्तिका पर लिखने के लिए सही उत्तनर बताते हुए यह ध्यानन रखा जाना चाहिए कि परीक्षा भवन की या भवन में बैठे अन्य उम्मीदवारों की शांति भंग न हो ।

7. उम्मीदवार और स्क्रा इब को इस आशय की उद्घोषणा पर भी हस्ता क्षर करने होंगे कि वे उम्मीदवारों तथा उनके स्क्रा इबों के आचरण के संदर्भ में आयोग के परीक्षा संबंधी अनुदेशों से अवगत हैं/ उन्होंनने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है और वे इन अनुदेशों का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।

8. उम्मीदवार या उसके द्वारा लाए गए स्क्रोइब को आयोग द्वारा किसी टीए/डीए अथवा अन्ये पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

9. उक्ती में से किसी भी अनुदेश का उल्लं घन करने पर संबंधित उम्मीषदवार की उम्मीगदवारी रद्द किए जाने के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीवदवार/स्क्रामइब के विरुद्ध अन्य उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। उम्मी दवार और स्क्रा इब, दोनों ही परीक्षा के नियमों के अध्यअधीन होंगे और इनका उल्लं।घन किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध परीक्षा के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

Important Instructions

1. The Indian Forest Services (Main) Examination, 2018 will be held in two sessions and each session will have three hours plus twenty minutes per hour (total sixty minutes) compensatory time for Visually Impaired candidates (visual impairment 40% or more) and the candidates with Locomotor Disability with Cerebral Palsy (suffering from dominant writing) extremity with minimum 40% impairment only.Such candidates will accordingly be allowed three hours and sixty minutes to answer in each session.

2. The Candidates with Benchmark disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will be allowed to avail the assistance of such Scribe, only if he/she carries a valid Scribe Admit Card duly issued by the Commission for such purpose in each session.

3. The Candidates with Benchmark disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will not be allowed to change their Scribe subsequently without intimating the commission.

4. The scribe will read out the Instructions as well as Questions from the QCA booklet to the candidate and on candidate's instruction, will write the answer in the QCA booklet.

5. The scribe will make no gestures, sounds or any other response or communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of the answer being recorded by him/her.Any such attempt would entail disqualification of the candidate and stringent action against both the candidate and the scribe shall be taken.

6. The peace in the examination hall or of the other candidates seated in the examination hall should not be disturbed while the scribe reads out the questions to the candidate or when the candidate indicates the correct response to the scribe for marking in the QCA booklet.

7. The candidate and the scribe will sign a declaration that they are aware of/have read the Commission's instructions regarding the conduct of the candidate and his/her scribe and they undertake to abide by these instructions.

8. No TA/DA or any remuneration will be paid by the Commission either to the candidate or the scribe brought by him/her.

9. Violation of any of the instructions shall entail cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate/scribe. Both the candidate and the scribe shall be subject to the rules of examination and action will be taken against them for violation of the same as per rules of the examination.